न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4374-तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-3-2012 - पारित द्वारा तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 9 अ-12/2011-12

1- राकेश कुमार गुप्ता पुत्र रामचरित्र गुप्ता
2- गुलाबचंद गुप्ता पुत्र रामचरित्र गुप्ता
ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

संतोष कुमार पुत्र रामप्रताप गुप्ता
ग्राम सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री वीरेन्द्र द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण 9 अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 9-3-12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार सिरमौर वृत्त गिर्द के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1760/2 रकबा 0.09 एकड़ की सीमांकन किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 9 अ-12/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी से भूमि का सीमांकन कराया। सीमांकन पर आवेदकगण ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे निरस्त करते

हुये तहसीलदार सिरमौर ने आदेश दिनांक 9-3-2012 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाभाषक के सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन पर उसके स्वामित्व की सिरमौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1760/2 का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 17-12-2011 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुये तहसीलदार ने आदेश दिनांक 9-3-2012 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है । विचार योग्य है कि यदि आवेदकगण राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी द्वारा किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है एंव सीमांकन से स्वयं् की भूमि प्रभावित होना बताते हैं, तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार सिरमौर द्वारा सीमांकन के संबंध में पारित आदेश दि. 9-3-2012 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा द्वारा प्रकरण 9 अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 9-3-12 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर